न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 39/2018 G.C.M.S. No. 2018/00180 दर्ज दिनांक : 01.06.2018

अपीलार्थिगण:

1. जोगाराम पुत्र सालगजी
2. केवलराम पुत्र सालगजी
3. मृत घेवरराम पुत्र सालगजी के वारिसान:–
   3/1 बंशीलाल पुत्र घेवररामजी
   3/2 महेन्द्र पुत्र घेवररामजी
   3/3 ढलाराम पुत्र घेवररामजी
   3/4 बालाराम पुत्र घेवररामजी
   3/5 पप्पुड़ी पुत्री घेवररामजी
   3/6 धापू पुत्री घेवररामजी
   3/7 कमलादेवी पत्नी घेवररामजी
4. जीवी पुत्री सालगजी

   जातिगण सुथार निवासीगण मुरडिया, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पुष्पा पुत्री भंवरलालजी जाति सुथार निवासी मुरडिया, तहसील रोहट, जिला पाली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 1279/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी

उपस्थित:–

1. श्री रघुनाथसिंह राजपुरोहित, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 08.05.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 1279/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट्स के खातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा कृषि भूमि ग्राम मुरडिया स्थित खसरा नंबर 203 रकबा 137 बीघा 3 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट्स एवं छैला पुत्र बींजाजी के सहखातेदारी की एवं खसरा नंबर 134/1, 110, 111/2, 120, 121/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 46 बीघा कृषि भूमि अपीलाण्ट्स की सहखातेदारी की स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में रेस्पोंडेण्ट संख्या एक का कोई हक–हकूक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य न तो पूर्व में था, न ही वर्तमान में है, फिर भी बिना किसी अधिकार के ही अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पेश करना बताते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा स्वयं का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद का कोई सम्मन कभी भी, किसी भी अपीलाण्ट्स को प्राप्त नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधानों की पालना किए ही अपीलाण्ट्स को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। जबकि विधि का सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई का अवसर का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, किसी प्रकार की वाद इत्यादि कार्यवाही होने पर विधिनुसार सम्मन/नोटिस दिया जाएगा, लेकिन हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। न तो अपीलाण्ट्स को सम्मन धामा गया है, न ही अपीलाण्ट्स ने सम्मन को लेने से इंकार किया है और सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दिया, जो अपास्त योग्य है। विधिनुसार रेस्पोंडेण्ट संख्या एक का उपरोक्त पद संख्या एक में वर्णित भूमि में कोई हक हकूक, अधिकार नहीं हैं। रेस्पोंडेण्ट संख्या एक द्वारा एक आवेदन कैम्प प्रभारी राजस्व लोक अदालत सोनाई लाखा तहसील रोहट जिला पाली में दिनांक 16.5.16 को पेश किया गया, जिस अनुसार उसके पिता की मृत्यु उनके दादाजी के पूर्व हो गई थीं और पिता की एकमात्र संतान है। दादा की संपत्ति में न तो पिताजी का नाम आया, न ही उसका नाम आया है। केवल तीन पुत्र जोगाराम, घेवरराम, केवलराम का ही नाम दर्ज किया है, इसलिए दादाजी के खातेदारी भूमि में पिताजी का नाम दर्ज किया जावें और पिताजी की मृत्यु दिनांक 1.1.85 को होना बताया गया। उपरोक्त आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार, रोहट को जांच कर रिपोर्ट किए जाने हेतु प्रेषित किया, जिस पर पटवारी हल्का की जांच के साथ नियमानुसार कार्यवाही हेतु उपरोक्त आवेदन पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को पेश होना बताया, जिस पर दिनांक 15.6.16 को उपरोक्त आवेदन को वाद के रूप में बिना अपीलाण्ट्स को उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए ही निर्णित करते हुए अपीलाण्ट्स के साथ–साथ रेस्पोंडेण्ट संख्या एक का नाम भी इंद्राज कर खातेदार कृषक घोषित किया गया और डिक्री पर्चा जारी किए जाने हेतु आदेश पारित किया गया, लेकिन उपरोक्त आदेश अर्थात् निर्णय में वर्णित अनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब नहीं किया गया और उक्त आदेश को ही निर्णय व डिक्री मानते हुए पालना हेतु उपरोक्त दिनांक को ही रेस्पोंडेण्ट संख्या दो को प्रेषित किया गया, जिस अनुसार रेस्पोंडेण्ट संख्या एक का नाम अपीलाण्ट के हिस्से को कम करते हुए दर्ज कर दिया, जो संपूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही एब इनिसियो वॉईड होने से अपास्त योग्य है। रेस्पोंडेण्ट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में न तो वाद पेश किया है, न ही वाद के रूप में अथवा वाद में अपीलाण्ट्स को पक्षकार बनाया गया, न ही रेस्पोंडेण्ट संख्या दो को पक्षकार बनाया गया। उपरोक्त आवेदन को वाद के रूप में न तो दर्ज किया जा सकता था, न ही निर्णित किया जा सकता था, क्योंकि वाद के रूप में सत्यापन नहीं था, शपथ–पत्र नहीं था, डुप्लीकेट प्रति नहीं थी, वादी व प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नियोजित नहीं थें, वाद के रूप में कभी भी दर्ज नहीं किया गया, अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या दो को जरिए सम्मन कभी भी तलब नहीं किया गया और इस प्रकार सी.पी.सी. के संपूर्ण प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते हुए भूमिधारी से रिपोर्ट मंगवाकर सीधे ही अपीलाण्ट्स की खातेदारी भूमि कम करते हुए अपीलाण्ट्स संख्या एक का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो एब इनिसियो वॉईड होने से अपास्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलाण्ट्स को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थीं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन इत्यादि अपीलाण्ट्स को कभी नहीं दिए गए। न ही विधिवत् तामील करवाई गई। अपीलाण्ट्स की ओर से उपरोक्त कृषि भूमि की जमाबंदी दिनांक 22.5.18 को प्राप्त की तब उसमें रेस्पोंडेण्ट संख्या एक का नाम भी दर्ज था, जिस पर संबंधित म्यूटेशन संख्या 520 व 522 की नकलें उसी दिन प्राप्त की, जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, लेकिन वर्तमान में राजस्व न्यायालयों का न्याय आपके द्वार के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लोक अदालत/कैम्प कोर्ट के आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय में कोई स्टाफ नहीं होने से नकलें भी प्राप्त नहीं हुई इस बाबत दिनांक 29.5.18 को कैम्प नहीं होने से आवेदन पेश किया गया, जिस पर दिनांक 29.5.18 को नकलें मिलते ही अपील पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं डिक्री पर्चा के बिना अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में उपखंड अधिकारी व कैम्प प्रभारी राजस्व लोक अदालत सोनाई लाखा तहसील रोहट में प्रार्थिया पुष्पा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मेरे दादा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के फौत होने पर मेरे पिता का नामांतरण नहीं दर्ज किया गया। मेरे पिता भंवरलाल की मृत्यु मेरे दादा की मृत्यु से पूर्व हो गई थीं तथा पिता भंवरलाल की मैं एकमात्र वारिस हूं। अतः दादा की खातेदारी भूमि में नाम दर्ज करने का आदेश करावें, पर कैम्प प्रभारी द्वारा तहसीलदार रोहट से जांच रिपोर्ट तलब की गई एवं बाद जांच रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर जांच प्रतिवेदन, भंवरलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र खातेदार सालगराम एवं भंवरलाल का वारिस प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व भू–अभिलेख के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थिया पुष्पादेवी को वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज जोगाराम, घेवरराम, केवलराम पि. सालग कौम सुथार शेष बदस्तूर के स्थान पर जोगाराम, घेवरराम, केवलराम पि. सालगराम, पुष्पा पुत्री भंवरलाल कौम सुथार शेष बदस्तूर का इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट द्वारा अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत प्रार्थना प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलार्थी के हक–हकूक, अधिकार प्रथमदृष्टया प्रभावित हुए हैं। अपीलार्थी को बिना प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए व सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिससे अपीलार्थी प्रभावित व व्यथित पक्षकार है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। अतः डिक्री पर्चा के अभाव में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा बहस के दौरान अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण वादपत्र के रूप में निर्णित नहीं हुआ है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा कोई वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। बल्कि प्रार्थिया रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा लोक अदालत कैम्प के दौरान सिविल प्रभारी उपखंड अधिकारी रोहट को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा बाद जांच आदेश पारित किया गया। प्रार्थिया अपने दादा सालगराम के पुत्र भंवरलाल जिनकी मृत्यु अपने पिता सालगराम के जीवनकाल में ही हो गई थीं तथा प्रार्थिया भंवरलाल की एकमात्र वारिसान थीं तथा प्रार्थिया द्वारा भंवरलाल के हक, हिस्से के संबंध में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा बाद जांच मृतक पिता भंवरलाल के हिस्से तक प्रार्थिया का नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए। जिससे अपीलांट किसी भी दृष्टि से प्रभावित व पीड़ित पक्षकार नहीं हैं। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 पुष्पा द्वारा दिनांक 16.05.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

को उपखंड अधिकारी (भू.अ.अधिकारी) रोहट के पास नामांतरण संख्या 178 गलत स्वीकृत होने के बाबत एक आवेदन पेश किया। जो एक अपील थीं। उक्त अपील प्रभारी अधिकारी को ग्राम सोनाई लाखा में पेश किया। जो अपील के रूप में ट्रीट रही, जो समरी सुनवाई में उत्तराधिकारी का नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश धारा 75 (एफ) भू–राजस्व अधिनियम के तहत है तथा उक्त आदेश की अपील संभागीय आयुक्त के यहां धारा 76 एल.आर एक्ट के अंतर्गत पोषणीय है। हाजा स्वरूप में टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं हैं। अतः अपील खारिज फरमावें।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखंड अधिकारी व कैम्प प्रभारी राजस्व लोक अदालत सोनाई लाखा तहसील रोहट के समक्ष प्रार्थिया पुष्पा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुरडिया तहसील रोहट के खसरा नंबर 203, 34, 100, 110, 111, 112, 113, 120, 121 कुल रकबा 137–06 बीघा आराजी के खातेदार मेरे दादा के फौत होने पर मेरे पिता का नामांतरण नहीं दर्ज किया गया। मेरे पिता भंवरलाल की मृत्यु मेरे दादा की मृत्यु से पूर्व हो गई थीं तथा पिता भंवरलाल की मैं एकमात्र वारिस हूं। अतः दादा की खातेदारी भूमि में नाम दर्ज करने का आदेश करावें, पर कैम्प प्रभारी द्वारा तहसीलदार रोहट से जांच रिपोर्ट तलब की गई। उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 15.06.2016 के विवेचनानुसार "प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का व तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट अनुसार सालगराम पुत्र पीराराम कौम सुथार के चार पुत्र व एक पुत्री हुए। जिनके नाम जोगाराम, घेवरराम, भंवरलाल, केवलराम व पुत्री जीवी है। भंवरलाल की मृत्यु सालगराम के जीवित रहते ही हो गई थीं। सालगराम फौत होने पर नामांरतण संख्या 178 दायर किया गया। जिसमें भंवरलाल के वारिसदार एकमात्र पुष्पादेवी का नाम दर्ज नहीं किया गया। ग्राम पंचायत दिवांदी द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 अनुसार भी सालगराम पुत्र पीराराम कौम सुथार के वारिसदार जोगाराम, घेवरराम, भंवरलाल, केवलराम व जीवी है। प्रार्थिया द्वारा अपने आवेदन अनुसार मृतक सालगराम पुत्र पीराराम के वारिसान के बतौर व उसके पिता भंवरलाल पिता सालगराम की वारिस होने से अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थिया का आवेदन प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य होने से इसे स्वीकार किया जाकर पटवार मंडल खुराणी ग्राम मुरडिया की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 37 व 47 के खसरा संख्या 203, 34, 100, 110, 111, 112, 113, 120, 121 कुल रकबा 137–06 बीघा कृषि में दर्ज इन्द्राज जोगाराम, घेवरराम, केवलराम पि. सालग कौम सुथार शेष बदस्तूर के स्थान पर जोगाराम, घेवरराम, केवलराम पि.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

सालगराम, पुष्पा पुत्री भंवरलाल कौम सुथार शेष बदस्तूर का इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया गया है" इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित विधिक उपबंधों के अंतर्गत वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। बल्कि उपखंड अधिकारी रोहट के समक्ष उपर्युक्त प्रश्नगत आराजी के भू–अभिलेख के संबंध में प्रार्थिया के दादा के फौत होने पर स्वीकृत नामांतरण संख्या 137 के द्वारा प्रार्थिया जोकि मृतक खातेदार सालगराम की पौत्री एवं पूर्व मृत पुत्र भंवरलाल की पुत्री व भंवरलाल की एकमात्र वारिस होने के बावजूद अपने पिता या स्वयं का नाम बतौर उत्तराधिकारी दर्ज नहीं करने के संबंध में जांच कर अपना नाम दर्ज किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उपखंड अधिकारी रोहट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को वादपत्र के रूप में दर्ज व विचारण नहीं कर तहसीलदार रोहट से जांच प्राप्त कर इसे स्वीकार कर निर्णित किया गया। प्रार्थना पत्र एवं जांच प्रतिवेदन के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र वस्तुतः नामांतरण संख्या 137 के विरूद्ध एक अपील के तुल्य है। जोकि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत प्रथम अपील उपखंड अधिकारी के द्वारा व द्वितीय अपील धारा 76 के अंतर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष कानूनन की जा सकती हैं। साथ ही अपीलांट अपीलाधीन आदेश में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं हैं तथा न ही अपीलाधीन आदेश से पीड़ित व प्रभावित व्यक्ति माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की हैं। जोकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वादपत्र में पारित डिक्री के विरूद्ध ही की जा सकती हैं। हस्तगत प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि न तो सहायक कलक्टर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई वादपत्र प्रस्तुत किया गया, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को वादपत्र के रूप में विचारण व निर्णित किया गया, न ही कोई डिक्री पारित की गई। अतः हमारे विनम्र मत में रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से तथा अपील अपीलांट धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता खारिज/अस्वीकार किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट न्यायालय हाजा में ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने एवं अपील अपीलांट धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय हाजा में ग्राह्य व पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner